

प्रेस विज्ञप्ति
थाना-निजामाबाद

दहेज उत्पीड़न के अभियोग में फरार चल रहा अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 22.09.2020 को थाना क्षेत्र तहबरपुर जनपद आजमगढ़ निवासिनी एक महिला द्वारा थाना निजामाबाद पर शिकायत दर्ज कराई कि अभियुक्तगण 1. शैलेन्द्र यादव पुत्र सुरेश यादव (पति) 2. सुरेश यादव पुत्र अज्ञात (ससुर) 3. शीला देवी पत्नी सुरेश यादव (सास) 4. देवेन्द्र यादव पुत्र सुरेश यादव (देवर) 5. आरती पुत्री सुरेश यादव (ननद) साकिनान- सरायसैफ थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा दहेज के लिये मुझे मारे - पीटे ,गाली दिये व जान से मारने की धमकी दिये तथा देवर उपरोक्त द्वारा मौका पाकर मेरे साथ छेड़खानी किया गया | जिस के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 172/20 धारा 498ए, 323,504,506, 354 भादवि व ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया |

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा उक्त अभियोग में नामित अभियुक्त व महिला उत्पीड़न के अभियोग में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद अनवर अली खान के सतत पर्यवेक्षण में आज दिनांक 24.09.2020 को उ0नि0 श्री रहीमुद्दीन मय हमराहीयान द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 172/20 धारा 498ए, 323,504,506, 354 भादवि व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त देवेन्द्र यादव पुत्र सुरेश यादव निवासी सरायसैफ थाना निजामाबाद आजमगढ़ को खपड़ा गांव चौराहा के पास समय करीब 09.10 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय चालान किया जा रहा है | पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 172/20 धारा 498ए, 323,504,506, 354 भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

देवेन्द्र यादव पुत्र सुरेश यादव साकिन सरायसैफ थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम

उ0नि0 श्री रहीमुद्दीन मय हमराहीयान थाना निजामाबाद आजमगढ़

थाना-कप्तानगंज

गोवध अधिनियम में फरार चल रहे दो अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद आजमगढ़ श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी बूढनपुर आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 24.09.2020 को उ0नि0 बांक बहादुर सिंह मय हमराहीयान के द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 135/2020 धारा 3/5क(6)/5ख/8(1) उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 1955 व उ0प्र0 गोवध निवारण (संशोधन) व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ से संबंधित वांछित अभियुक्तगण 1. रवीन्द्र प्रजापति पुत्र त्रिलोकी नाथ प्रजापति ग्राम भभौरा थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर |2. सुबाष शिल्पकार पुत्र स्व0 रामप्रसाद शिल्पकार ग्राम कोठवा जलालपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को देउरपुर से समय 6:45 बजे गिरफ्तार कर चलाना माननीय न्यायालय किया जा रहा है |

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 135/2020 धारा 3/5क(6)/5ख/8(1) उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 1955 व उ0प्र0 गोवध निवारण (संशोधन) व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना कप्तानगंज |

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. रवीन्द्र प्रजापति पुत्र त्रिलोकी नाथ प्रजापति ग्राम भभौरा थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर |
2. सुबाष शिल्पकार पुत्र स्व0 रामप्रसाद शिल्पकार ग्राम कोठवा जलालपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ |

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

1. उ0नि0 बांक बहादुर सिंह थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ |
2. कां0 सन्तोष कुमार यादव थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ |
3. कां0 कां0 मुकुन्द लाल मिश्र थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ |

थाना- गम्भीरपुर

चोरी के माल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

श्री जितेन्द्र प्रसाद चौरसिया S/O रामहरख चौरसिया ग्राम भोपालपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ के लिखित तहरीरी सूचना पर दिनांक 12.09.20 की रात्रि में गोसाई की बाजार में स्थित दुकान जो चौरसिया आटो पार्ट्स के नाम से थी चोरी हो जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मुकदमा मु0अ0सं0 157/20 धारा 457,380 भादवि दर्ज किया गया था।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित / वारण्टी की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में आज दिनांक 24.09.2020 को उ0नि0 श्री विजय प्रकाश मौर्य मय हमराह का0 भानूप्रताप यादव व का0 रघुबीर यादव द्वारा उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.इन्दल सरोज पुत्र रामचन्द्र सरोज निवासी ग्राम अमौडा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 2. अर्जुन सरोज पुत्र स्व0 रामदुलारे सरोज ग्राम सरायमोहन थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को समय 10.15 बजे गोसाई की बाजार नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- पूछने पर अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा बताया गया कि साहब हम लोग गोसाई की बाजार में स्थित चौरसिया आटो पार्ट्स की दूकान के यहाँ से दिनांक 12.09.20 की रात में अपने साथियों के साथ मिलकर सामान चुराये थे। साहब और चुराये हुए सामानों को पंकज के घर पर रखा गया है। और कुछ सामानों को हमने अपने दुकानों पर आने वाले ग्राहकों के मोटर साइकिलों में लगाकर खपत कर दिये हैं और चुराये गये 15000 रुपये को आपस में 5000-5000 रुपये बाँट लिये थे। और पैसे खर्च हो गये हैं जो बचा था उसको आप लोगों ने अभी बरामद किया है , बरामद मोबिल के बारे में पूछने पर दोनों ने बताया कि साहब हमलोग मिस्त्री हैं , इसको गाड़ियों में सर्विसिंग करते समय प्रयोग कर देते हैं।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 157/20 धारा 457/380, भादवि व बढोत्तरी धारा 411 भादवि, थाना-गम्भीरपुर, आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त –

- 1.इन्दल सरोज पुत्र रामचन्द्र सरोज निवासी ग्राम अमौडा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
2. अर्जुन सरोज पुत्र स्व0 रामदुलारे सरोज ग्राम सरायमोहन थाना बरदह जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

- 1- एक अदद अपाचे मोटर साइकिल चोरी की रजि0 UP 65 CA 6435 बरंग सफेद व चार डिब्बा मोबिल,
- 2- 1200 रुपया नकद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 विजय प्रकाश मौर्य व का0 भानूप्रताप यादव व का0 रघुबीर यादव, थाना-गम्भीरपुर, आजमगढ़